न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।

उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

दाण्डिक वाद संख्या– 254/2022

राज्य **–बनाम–** भोले

अपराध संख्या– 01/2005
धारा– 25 आयुध अधिनियम
थाना– अवागढ़, जिला एटा

02.07.2026

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित है। अभियुक्त **भोले पुत्र अशोक कुमार** निवासी धौकल बड़ा मौहल्ला कस्बा व थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद को 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेकर तलब किया गया तथा उपरोक्त अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

अभियुक्त की ओर से अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त का संस्वीकृति कथन अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वेच्छया से स्वीकार किया है। अतः स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दिनांकः 02.07.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
(J.O. CODE- UP 4823)

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का कहना है कि वह गरीब व्यक्ति है तथा यह उनका प्रथम अपराध है। कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण प्राचीनतम वादों में एक है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा अभियुक्त की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्नांकित दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

–आदेश–

अभियुक्त **भोले** को दाण्डिक वाद संख्या 254/2022, राज्य बनाम भोले, अपराध संख्या– 01/2005 धारा–25 आयुध अधिनियम थाना–अवागढ़, जिला एटा के प्रकरण में दोषी पाते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि एवं मुव० 2,000/– (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पंद्रह दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 02.07.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
(J.O. CODE- UP 4823)

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 02.07.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
(J.O. CODE- UP 4823)